राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9897/2015

देवेन्द्र कुमार

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री एच.एस. सिद्धू श्री प्रदीप सिंह खोसा
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	कोई मौजूद नहीं

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

18/04/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 27.08.2015 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/8) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था। आदेश सीसीए नियम, 1958 के नियम 13 के तहत पारित किया गया है।

2. प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता पंचायत विस्तार अधिकारी के पद पर है, और उसकी सेवाएँ अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 द्वारा शासित हैं।

2.1. 1998 के नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के निदेशक हैं।

2.2. दिनांक 27.08.2015 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सीसीए नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत इस आधार पर निलंबित कर दिया गया कि उसने दिनांक 17.06.2015 के स्थानांतरण आदेश (अनुलग्नक पी/2) और दिनांक 24.06.2015 के कार्यमुक्ति आदेश (अनुलग्नक पी/3) का अनुपालन नहीं किया, जिसके अंतर्गत उसका नया मुख्यालय जयपुर निर्धारित किया गया था।

2.3. प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत अवकाश पर था। इसलिए, वह अपने नए पद पर रिपोर्ट नहीं कर सका। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. जवाब में, बचाव पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता भौतिक तथ्यों को छिपाने और झूठे बयान देने का दोषी है। याचिकाकर्ता को 17.06.2015 के आदेश द्वारा स्थानांतरित किया गया था और 24.06.2015 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त किया गया था। हालाँकि, उसने जानबूझकर अपने नए पद पर रिपोर्ट नहीं की, इस प्रकार बिना किसी औचित्य के उच्च अधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. जबकि प्रतिवादियों के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से केस फाइल की समीक्षा की है।

5. यहाँ संक्षिप्त विवाद यह है कि क्या याचिकाकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर स्थानांतरित पद पर रिपोर्ट न करने के लिए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जा सकता था।

6. निस्संदेह, जानबूझकर उल्लंघन के मामलों में, सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी के खिलाफ अवज्ञा के लिए कार्यवाही कर सकता है। प्रशासनिक आदेशों को लागू करने में अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए और इसे किसी ऐसे अधिकारी की सुविधा पर नहीं छोड़ा जा सकता है जिसे अनुपालन करने का निर्देश दिया गया हो। इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है। वास्तव में, स्थानांतरण आदेश जारी होने से पहले 59 दिनों के लिए स्वीकृत अवकाश पर रहने के लिए याचिकाकर्ता के पास एक वैध औचित्य भी था। स्थानांतरण आदेश तब पारित किया गया जब वह अभी भी छुट्टी पर था, और सक्षम प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षा करना कठोर है कि वह अपनी शेष छुट्टी सरेंडर कर दे और नए पद पर रिपोर्ट करे।

7. इसके अलावा, स्वीकृत छुट्टी को किसी भी आदेश द्वारा वापस नहीं लिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को जानबूझकर अवज्ञा के लिए उत्तरदायी ठहराना अनुचित है।

8. इन परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पिछले नौ वर्षों से प्रभावी निलंबन आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है।

9. मेरा मानना है कि समय बीतने के कारण, विभाग को स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और इस देरी के समय में याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल परिणाम नहीं थोपने चाहिए।

10. मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। दिनांक 27.08.2015 (अनुलग्नक पी/8) और 31.08.2015 (अनुलग्नक पी) के आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।